पवन कुमार व अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य

9 फरवरी, 1998

[मुख्य न्यायाधिपति एम.एम. पुंच्छी और ए.पी. मिश्रा न्यायाधिपति]

आपराधिक विधि

दण्ड संहिता, 1860

धारा 304 बी-दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्व-दहेज की मांग की उपधारणा-सबूत का भार-पत्नी के साथ क्र्रता व उत्पीड़न-पत्नी की आत्महत्या से ठीक पहले पित द्वारा दहेज की मांग के संबंध में-पित व उसके नातेदारों द्वारा विवाह के ठीक बाद स्क्टर व रेफ्रीजरेटर की मांग की गई-मृतका (पत्नी) मांग को पूरा करने में विफल रही जिसके कारण उसे बार-बार ताना मारा गया और दुर्व्यवहार किया गया-पित और मृतका के बीच मौत से एक दिन पहले बहन के घर झगड़ा हुआ-अपने पित के साथ जाते समय मृतका ने अपनी बहन से कहा कि भविष्य में उसका चेहरा देखना मुश्किल होगा-अभिनिर्धारित-दहेज की मांग दण्डनीय है, यदि धारा 304 बी के तत्व प्रमाणित होते हैं-अभियुक्त पर इसे अन्यथा साबित करने

का भार है-केस की परिस्थितियों के अनुसार दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता और उत्पीड़न साबित है-धारा 304 बी के तहत दोषसिद्धि व सजा बरकरार-साक्ष्य अधिनियम, 1872, धारा 113 बी-दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, धारा 2, 3 और 4-कानूनों की व्याख्या-मिश्चिफ रूल।

धारा ४९८ ए स्पष्टीकरण(ए) "क्रूरता-मानसिक व शारीरिक क्रूरता शामिल-"जान-बूझकर आचरण"-प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है।

धारा 306 और 107-पहला-आत्महत्या-करने के लिए उकसाना-किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाता है-मृतका (पत्नी) दहेज की मांग पूर्ण करने में विफल रही-पित द्वारा मृतका के साथ क्रूरता व उत्पीड़न का व्यवहार किया गया-आत्महत्या के एक दिन पहले पित और मृतका के बीच उसकी बहन के घर पर झगड़ा हुआ, जिसके कारण मानसिक पीड़ा हुई थी-जब मृतका ने अपनी बहन को बताया कि भविष्य में उसका चेहरा देखना मृश्किल होगा, उसकी मानसिक स्थित और भी स्पष्ट हो गई थी-अभिनिर्धारित-उक्त सभी कृत्य मृतका द्वारा आत्महत्या किये जाने का दुष्प्रेरण होगा-अतः धारा 306 में 4 वर्ष का कठोर कारावास और 200 रूपये जुर्माना व जुर्माने में व्यतिक्रम होने पर 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डनीय-सही ठहराया गया।

अपराधिक विचारणः

संदेह का लाभ-अभियुक्त को दिया जा सकता है, परंतु विधि की कठोरता की सीमाओ में।

संदेह का लाभ-यदि अभिलेख पर समर्थित साक्ष्य उपलब्ध हो तो दिया जा सकता है-इस तरह संदेह के लिए व संदेह का लाभ दिये जाने के लिए साक्ष्य ऐसी होनी चाहिए, जो ऐसा संदेह का कारण बन सकती हो। शब्द और वाक्यांश

"क्र्रता" और जान-बूझकर आचरण"-अर्थ-धारा 498(ए) दंड संहिता, 1860 के स्पष्टीकरण (ए) के संबंध में

अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 306, 498 ए और 304 बी में दोषसिद्ध किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पुष्ट की गई। अतः यह अपील की गई।

अभियोजन के अनुसार मृतका व अपीलार्थी नंबर 1 का विवाह 1985 में संपन्न हुआ था। विवाह के कुछ दिनों में ही रेफ्रीजरेटर व स्कूटर की मांग की गई। उक्त मांग की पूर्ति न होने पर मृतका को बार-बार ताना मारा गया व उसे कुरूप बताकर मानसिक रूप से प्रताड़ित व उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मृतका के मामा की मृत्यु पर मृतका व उसके पित द्वारा शोक प्रकट करने के लिए गये। उसके बाद मृतका अपने पित के साथ लौटने के बजाय अपनी बहन के घर आ गई एवं वहां पर कुछ दिन रूकी।

मृतका की बहन व भाई ने बताया कि मृतका ने उन्हें बताया कि उसका पित दहेज की मांग को लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था और दहेज न देने पर उसे प्रताड़ित किया गया। जब मृतका का पित उसे लेने गया तो मृतका ने उसके साथ आने में अनिच्छा जाहिर की, परंतु उसकी बहन ने समझाकर उसे पित के साथ भेज दिया। मृतका अपने पित के साथ गई, परंतु उसने दर्दनाक शब्दों में कहा कि अब भविष्य में उसका चेहरा देखना मुश्किल होगा, उसके अगले ही दिन मृतका ने आत्महत्या कर ली। इस न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की गई।

अभिनिर्धारितः

- 1.1. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 बी के लिए आवश्यक तत्व है:-
- (ए) जब किसी महिला की मृत्यु जलने से अथवा शारीरिक क्षति से हुई हो,
 - (बी) सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्यथा हुई हो,
- (सी) और उपरोक्त दोनों तथ्य महिला के विवाह के 7 वर्षों के भीतर हुई हो

- (डी) मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति अन्यथा उसके नातेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो।
 - (ई) यह सब दहेज की मांग के संबंध में हो।
- 1.2. यदि उपरोक्त परिस्थितियां अस्तित्व में आती है, तो दहेज मृत्यु का अपराध कारित होगा और पित अथवा उसका नातेदार द्वारा उसकी मृत्यु कारित किया जाना माना जावेगा। वर्तमान मामले में यह निर्विवादित तथ्य है कि मृतका की मृत्यु जलने के कारण हुई और उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा हुई और उसकी मृत्यु विवाह के 7 वर्षों के भीतर थी। केवल विचारणीय है कि "क्या उसके साथ मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर अपीलार्थी द्वारा क्रूरता व उत्पीड़न का व्यवहार किया गया।
- 2. यह सही है कि आपराधिक न्यायशास्त्र में संदेह का लाभ दिया जा सकता है, परंतु संदेह का लाभ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दण्ड विधि से लागू होगा। संदेह के लाभ की अवधारणा की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु इसमें कानून की कठोरता की सीमाएं हैं। चूंकि विवाहित महिला की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा कारित हुई थी, परंतु दहेज मृत्यु के मामले में जहां साक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं है जैसा कि पति के घर पर चारदीवारी के भीतर, जहां सभी अभियुक्तगण निवास करते हैं। इसलिए 1983 में (द्वितीय संशोधन) विधि में संशोधन प्रस्तावित किया गया। पति

व उनके नातेदारों जैसा भी मामला हो सकता है, के द्वारा दहेज मृत्यु की अवधारणा लाई गई और उसे आसानी से नहीं लिया जा सकता और नजरअंदाज किया जाना अभियुक्त पर ढाल का कार्य किये जाने में उक्त खास भूमिका अदा करती है, अन्यथा संशोधन का मुख्य उद्देश्य विफल होगा। वास्तव में दहेज मृत्यु की आशंका की औरंभिक उपधारणा तय करने के बाद उसके आवश्यक तत्व सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना है।

3. दहेज की मांग न तो छुप सकती है और न ही किसी सहमति से छुपाया जा सकता है। धारा 2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में करार शब्द का उल्लेख किया गया है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह निर्वचन की दोषसिद्धि तभी हो सकती है, जब दहेज के लिए सहमति हो, गलत धारणा है। यह अधिनियम के उद्देश्य व मंशा के विपरीत होगा। दहेज की परिभाषा अधिनियम की धारा 3 में सम्मिलित करते हुए अन्य प्रावधानों के साथ लेकर उसकी व्याख्या करनी चाहिए, जिसके अनुसार दहेज लेना और देना शामिल है। 1961 अधिनियम की धारा 4 में दहेज मांग की शास्ति का उपबंधित करती है और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में भी इसके प्रावधान है, जो स्पष्ट करते हैं कि यदि अन्य तरीकों से भी दहेज की मांग किया जाना साबित होता है तो वह दण्डनीय है। विवाह के बाद लगातार उसके माता-पिता से लगातार टी.वी. और स्कूटर की मांग से दहेज की मांग इंगित होती है। यह

मांग विवाह के संबंध में की गई और धारा 304 बी भा.दं.सं. में परिभाषित अपराध का गठन करती है। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा ही दहेज का करार किया जावे।

- 4. वर्तमान मामले में विवाह के कुछ दिनों के बाद ही स्क्ट्र व फ्रीज की मांग की गई। जो लगातार दुर्व्यवहार के तानों के बावजूद पूरी नहीं की जा सकी। उक्त मांग विवाह के संबंध में मांगी नहीं गई हो, नहीं माना जा सकता। अतः विवाह के संबंध में जो दहेज की मांग की साक्ष्य है और जो मामले की परिस्थितियां है, वे 1961 कानून की धारा-2 में व 304 बी भा.दं.सं. में परिभाषित अपराध का गठन करती है।
- 5. आवश्यक नहीं है कि क्र्रता व उत्पीड़न शारीरिक हो। यहां तक कि किसी मामले में मानसिक यातना भी धारा 304 बी और 498 ए भा.दं.सं. में परिभाषा के अंतर्गत क्र्रता और उत्पीड़न होगा। धारा 498 ए स्पष्टीकरण शारीरिक व मानसिक क्र्रता दोनों को संदर्भित करती है। फिर से जान-बूझकर किया गया आचरण से तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य से जो उपरोक्त कृत्य का निर्माण करती है, किया गया आचरण कहलाता है। एक लड़की विवाह के बाद का आने वाले अच्छे दिनों का सपना देखती है और विवाह के अगले दिन से ही पित उसे क्रूप कहकर व दहेज ना लाने का ताना शुरू कर देता है, उससे बड़ी मानसिक प्रताइना, क्रूरता, उत्पीड़न किसी वध् का नहीं हो सकता। उसकी मृत्यु के एक दिन

पहले झगड़ा हुआ। यह स्वयं जान-बूझकर किया गया आचरण धारा 498 ए और धारा 304 बी भा.दं.सं. के तहत अपराध गठित करता है।

6. न्यायालय को ऐसी धारण अपनानी चाहिये, जो "उपचार लाभ देती हो और उत्पात को रोकती हो।" पूर्वविधि दहेज मृत्यु को रोकने के लिये पर्याप्त नहीं थी। अतः अब कठोर उपबंध किये गये ताकि जो व्यक्ति विवाहित महिला के साथ अमानवीय अपराध कारित कर रहा है, बच नहीं सके, जबिक साक्ष्य प्रत्यक्ष प्रकृति के अलावा प्रत्यक्ष प्रकृति की साक्ष्य आसानी से उपलब्ध ना हो। यह उपधारणा ऐसी है, जो बुराई को रोकती है और उपचार के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है, जो कि स्वीकार योग्य है। इसका उद्देश्य यह है कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो दण्ड से बचना नहीं चाहिये। अतः ऐसे कठोर प्रावधान अभियुक्त पर सिद्धि भार उक्त खण्ड में डालने के लिए लाये गये। 1961 के अधिनियम में धारा-8ए के अनुसार दहेज लेना या उसका दुष्प्रेरण करना आदि को स्पष्ट करने का सिद्धि भार अभियुक्त पर है, जिसके विरूद्ध अपराध का आरोप है। वैसे ही साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113 बी के स्पष्टीकरण में उपधारणा बताई गई है कि ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु है, उसको नासाबित करने का भार अभियुक्त पर है।

बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ बिहार, एऔईऔर (1955) ऐसेसी 661, हैडन केस, (1584) 76 ईऔर 639, का संदर्भ लिया गया।

- 7. मामले के तथ्य, परिस्थितियां की साक्ष्य व अन्य साक्ष्य के साथसाथ निष्कर्ष रूप में निकलकर आया कि मृतका की मृत्यु के एक दिन
 पहले झगड़ा यह विवाह के संबंध में क्र्रता व उत्पीड़न गठित करती है और
 उसकी अपनी बहन के घर पर हुई तथा प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखती है कि
 मृतका के साथ बार-बार दहेज की मांग की गई। उक्त मामला धारा 304 बी
 और 498 ए भा.दं.सं. के अंतर्गत आता है। हालांकि अभियुक्त के लिए
 अन्यथा साबित करने व उक्त खण्ड में साक्ष्य द्वारा समाप्त करने का अवसर
 था, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका। अभियुक्त पर एक उद्देश्य के लिए भार
 डाला गया है। साक्ष्य से निष्कर्ष निकलता है कि मृतका के साथ धारा498 ए के स्पष्टीकरण के तहत बार-बार दहेज की मांग कर उत्पीड़ित किया
 गया और दहेज पूर्ति न होने पर मानसिक रूप से प्रताड़ना व यातना दी
 गई, जिसके परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कारित की।
- 8. धारा 107 भा.दं.सं. के लिए पहली आवश्यकता है किसी व्यक्ति को वह करने के लिए दुष्प्रेरणा करना। वर्तमान मामले में संदेह नहीं है कि लड़की व उसके माता-पिता से उसके पित की तरफ से विभिन्न मांग जैसा कि उपरोक्त प्रकार से बताया गया है, बार-बार मांग की गई और मांग पूर्ति

में विफल रहने पर लकड़ी को प्रताइना, बोल-बोलकर व व्यवहार से उत्पीइन किया गया व मृतका के साथ लड़ाई-झगड़ा कर क्रूरता कर मानसिक यातना दी गई। यहां तक कि मृतका की अपनी बहन के घर पर भी की गई, जिससे उसके पास आत्महत्या करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा। उसने अपनी बहन को उसके घर पर कहा कि भविष्य में उसका चेहरा नहीं देख पायेगी, जो कि उसने अपनी बहन को बताया, उससे भी मृतका की मानसिक स्थिति स्पष्ट होती है। उक्त सभी कृत्य एक लकड़ी को आत्महत्या कारित करने के दुष्प्रेरण के अपराध का गठन करती है।

- 9. वर्तमान मामले में पित ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया व कोई ऐसी पिरिस्थितियां नहीं बताई गई है, जो उक्त निष्कर्ष को खण्डित करती हो। वास्तव में रिकॉर्ड पर समर्थन करती साक्ष्य हो तो अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जा सकता है। अतः संदेह उत्पन्न करने के लिए व संदेह के लाभ के लिए साक्ष्य ऐसी होनी चाहिए, जो संदेह उत्पन्न करती हो।
- 10. अपीलार्थी नंबर 1 ने 304 बी भा.दं.सं. में 7 वर्ष कठोर कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास, 306 भा.दं.सं. में 4 वर्ष का कठोर कारावास व 200/- रूपये अर्थदण्ड अदम अदायगी अर्थदण्ड 3 माह का कठोर कारावास

व 498 ए भा.दं.सं. में 2 वर्ष का कठोर कारावास और 200/- रूपये का अर्थदण्ड अदम अदायगी अर्थदण्ड तीन माह का कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या-604/1991

उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा द्वारा 7.6.91 से, जो उनके प्रकरण दाण्डिक अपील संख्या-463-ऐसेबी/1988 के पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक-07.06.91 से ।

यू.और. लित, मनोज स्वरूप और सुधीर वालिया, अपीलार्थीगण की ओर से

प्रेम मल्होत्रा और अल्ताफ हुसैन, प्रत्यर्थी की ओर से न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया-

एक सदी से भी अधिक समय से महिलाओं के प्रति सम्मान के बड़े-बड़े शब्दों के बावजूद, दुल्हन जलाने और दहेज हत्या के माध्यम से उनकी स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। इससे विधायिका, न्यायपालिका और कानून लागू करने वाली एजेंसियों में चिंता पैदा हो गई है, जिन्होंने उन्हें इस सामाजिक बंधन से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। इस संबंध में कई कानून बनाए गए हैं, जिनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में दुल्हनों को जलाने और दहेज हत्याएं जारी रही। इसे पूरा करने के लिए भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के माध्यम से कड़े उपाय लाए गए। ऐसा लगता है समाज के कुछ वर्ग अभी भी अपनी लालची इच्छा को पूरा करने के लिए साहसपूर्वक इस दीर्घकालिक कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। कड़े कानूनों के बावजूद ऐसे व्यक्ति अभी भी इन गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त है। कानून में किसी कमी के कारण नहीं बल्कि संदेह के लाभ के आपराधिक न्यायशास्त्र के सुरक्षात्मक सिद्धांत के तहत। अक्सर, निर्दोष व्यक्तियों को भी गलत इरादे से फंसाया जाता है या लाया जाता है। इससे न्यायालय पर ऐसे व्यक्तियों को अपराधियों से अलग करने का कठिन कर्तव्य आ जाता है। इसलिए अदालतों को ऐसे मामलों को सावधानी से निपटाना होगा। साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। परिस्थितियों की अत्यंत सावधानी से जांच करनी होगी। मौजूदा मामला ऐसा ही है जहां इसी तरह के सवाल उठाए गए हैं, जिसमें कड़े कानून की व्याख्या का सवाल भी शामिल है।

तीनों अपीलार्थियों को भा.दं.सं. की धारा 306, 498 ए और 304 बी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। अपीार्थी क्रम-1 मृतका का पति, क्रम 2 ससुर और क्रम-3 सास है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी नंबर 1 को 304 बी भा.दं.सं. में 10 साल की सजा और 500/- रूपये

जुर्माना, धारा-306 भा.दं.सं. के लिए 7 साल की सजा व 200/- रूपये जुर्माना, धारा-498 ए के लिए 2 साल की सजा व 200/- रूपये जुर्माने से दिण्डित किया गया एवं अपीलार्थी क्रम-2 व 3 को दिण्डित करते हुए धारा-304 बी के लिए 7 साल की सजा व 500/- रूपये जुर्माना, धारा-306 के लिए 7 साल की सजा एवं 200/- रूपये जुर्माना एवं धारा 498 ए भा.दं.सं. में 2 साल की सजा एवं 200/- रूपये जुर्माने से दिण्डित किया गया। सजाएँ एक साथ चलने का आदेश दिया गया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन जहां तक अपीलार्थी क्रम-1 का संबंध है, सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

उर्मिल (मृतका) और अपीलार्थी क्रम-1 की शादी 29 मई, 1985 को हुई थी। अपीलार्थी क्रम-1 लखनऊ में कार्यरत था और बाद में सोनीपत (हरियाणा) में स्थानांतरित हो गया था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार शादी के कुछ दिनों के भीतर उर्मिल घर लौट आई और अपीलार्थियों द्वारा दहेज में रेफ्रिजरेटर, स्कूटर आदि की मांग के संबंध में शिकायत की। बाद में ये मांगें दोहराई गई। इन मांगों के पूरी न होने पर मृतका को कथित तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। इन कथित कार्रवाइयों ने अंततः आत्महत्या में योगदान दिया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उनकी मृत्यु 18 मई 1987 को जलने से हुई थी।

अप्रैल, 1987 में मृतका के मामा तारा चंद की मृत्यु हो गई। उर्मिल (मृतका) और अपीलार्थी नंबर 1 शोक व्यक्त करने के लिए शाहदरा(दिल्ली) गए, वहां से अपीलार्थी क्रम-1 लौट आया और उर्मिल दिल्ली में अपनी बहन के यहां चली गई। 17 मई, 1987 को जब अपीलार्थी क्रम-1 उर्मिल (मृतका) को वापस सोनीपत लाने के लिए मृतका की बहन के घर गया तो उनके बीच कुछ झगड़ा हुआ। बावजूद इसके अपीलार्थी नंबर-1 मृतका को वापस सोनीपत ले आया। अपीलार्थियों के अनुसार, अगले दिन यानी 18 मई, 1987 को सुबह 9.30 बजे जोगिंदर पाल, (अपीलार्थी का पड़ोसी) अपीलार्थी नंबर 2 के पास आया और उसे बताया कि पहली मंजिल पर कमरे से धुआं निकल रहा है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उर्मिल जली हुई हालत में फर्श पर मृत पड़ी है। कमरा धुंए से भरा हुआ था, बाद में मृतका के माता-पिता पहुंचे और मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, डॉक्टर ने पाया कि मृत्यु का कारण अत्यधिक जलने के परिणामस्वरूप सदमा और दम घुटना था, जो मृत्यु पूर्व था और जीवन के सामान्य क्रम में मृत्यू का कारण बनने के लिए पर्याप्त था।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने पुरजोर ढंग से तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूतों पर विचार किये जाने के बाद भी कोई अपराध नहीं बनता है। आत्महत्या का कोई स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था और किसी भी मामले में भा.दं.सं. की धारा 304 बी के आवश्यक तत्वों की कमी थी। अपीलार्थी संख्या 2 और 3 के खिलाफ सबूत कमजोर थे, और किसी भी मामले में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले, दहेज की किसी भी मांग के संबंध में मृतका के साथ क्रूरता या उत्पीड़न कारित किया गया था। न तो दहेज की कोई मांग की गई थी और न ही शादी के समय कोई समझोता हुआ था, जो कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 के तहत दी गई दहेज की परिभाषा के संदर्भ में दहेज मृत्यु के तहत अपराध का गठन करने के लिए एक आवश्यक घटक है। (इसके बाद इसे '1961 अधिनियम के रूप में जाना जाएगा) जब तक विवाह के समय या विवाह के संबंध में दहेज के लिए कोई समझौता नहीं होता है, तब तक यह ऐसी परिभाषा के तहत दहेज के रूप में योग्य नहीं होगा, इसलिए धारा 304 बी भा.दं.सं. के तहत कोई अपराध नहीं है, केवल फ्रिज या टीवी मांगने की शिकायत व्यक्त करना किसी भी समझौते के अभाव में उक्त परिभाषा के अंतर्गत स्वयं दहेज नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, धारा 304 बी के तहत मांग खंड को लागू करने से पहले साक्ष्य को आपराधिक न्यायशास्त्र के दायरे में होना चाहिए, यानी सभी युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध साबित करना होगा। यह केवल संदेह, अनुमान और अनुमान पर आधारित नहीं हो सकता।

धारा 304 भा.दं.सं. के लिए आवश्यक है कि:-

- (ए) जब किसी महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है, या
 - (बी) सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्यथा होती है।
- (सी) और उपरोक्त दोनों तथ्य लड़की की शादी के 7 साल के भीतर सामने आते हैं।
- (डी) और उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले, वह अपने पित या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार हुई थी।
 - (ई) यह दहेज की मांग के संबंध में है।

यदि ये स्थितियाँ मौजूद हैं, तो यह दहेज हत्या होगी और पित और/या उसके रिश्तेदारों को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा। वर्तमान मामले में, यह निर्विवादित है कि मृतका उर्मिल की मृत्यु जलने से हुई, जो कि सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में हुई, और यह मृत्यु शादी के 7 साल की अविध के भीतर हुई थी। एकमात्र विचार यह होना चाहिए: क्या उसकी मृत्यु से ठीक पहले अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ कोई क्रूरता या उत्पीड़न कारित किया गया था और क्या यह दहेज की किसी मांग के संबंध में था। अभियोजन ने मामले के समर्थन में श्रीमती मिसरो देवी मृतका की मां पीडब्लू 04, त्रिशला देवी, मृतका की बहन पीडब्लू-05, प्रेम चंद जैन, मृतका के पिता पीडब्लू 06, राम गोपाल

मृतका के जीजा, पीडब्ल्यू-5 के पति-पीडब्लू-7 की जांच की गई। पीडब्ल्यू-4 के साक्ष्यों को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि मृतका की मां ने बताया कि शादी के चार दिनों के भीतर उसकी बेटी मृतका उर्मिल उसके पास वापस आई और उसे बताया कि उसके सास-ससुर और पति उसपर अत्याचार करते। शादी के समय दहेज में स्कूटर और फ्रिज न लाने पर ताने दिए गये थे। उसने किसी तरह अपनी बेटी को वापस लौटने के लिए मना लिया। उर्मिल दो महीने बाद वापस आई और अपनी मां को फिर से बताया कि उसके पति व ससुराल वाले दहेज में उपरोक्त सामान न लाने के कारण उसे रोजाना ताने मार रहे थे, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे और उसे बदसूरत कह रहे थे। माना कि ये ताने उसके द्वारा लाए गए कम दहेज को देखते हुए कहे गए थे। एक बेटे को जन्म देने के बाद भी जब वह वापस आई तो उसने फिर से आरोपी द्वारा उसके साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि उर्मिल ने सोनीपत से कलकता और हांसी में उसे कुछ पत्र लिखे थे, लेकिन पढ़ने के बाद उसने उन्हें फाड़ दिया। उनके पत्रों में भी उसी दुर्व्यवहार और यातना का जिक्र था। इसी तरह मृतका के पिता पीडब्लू-6 ने भी उर्मिल द्वारा उनसे की गई इसी तरह की शिकायतों का हवाला दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वह उन्हें बताती थी कि स्कूटर और फ्रिज की मांग पूरी न करने के कारण उसके पति और ससुराल वाले उसके साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न कर रहे थे। पिता ने फिर इस मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई, इसलिए उसके पिता ने उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया। मृतका की बहन पीडब्लू 5 और मृतका के बहनोई पीडब्लू. 7 का बयान भी ऐसा ही है।

अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार उपर्युक्त साक्ष्य केवल फ्रिज, स्कूटर आदि प्राप्त करने की इच्छा की अभिव्यक्ति हो सकता है और इसे अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह दहेज की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 के तहत दहेज भा.दं.सं. की धारा 304 बी और 498 के साथ पठित है उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 दहेज को इस प्रकार परिभाषित करती है-

"दहेज की परिभाषा'- इस अधिनियम में, 'दहेज का अर्थ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति

- (ए) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष कोः या
- (बी) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को, [उक्त पक्षकारों के विवाह के

संबंध में] या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है।

धारा 304-बी (1) भा.दं.सं. की व्याख्या के साथ उद्धृत की गई हैः

"304-बी दहेज मृत्यु- (i) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षिति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पित ने या उसके पित के नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसा पित या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

धारा 498-ए भी यहां उद्धृत की गई है:

498 ए- किसी स्त्री के पित या पित के नातेदार द्वारा उसके प्रित क्रूरता करना- जो कोई, किसी स्त्री का पित या पित का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रित क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अविध तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दिण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

- (ए) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है; या
- (बी) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

उपरोक्त 1961 अधिनियम दहेज हत्याओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था जो तत्कालीन प्रचलित कानूनों के बावजूद जारी किया गया था। विधेयक का उद्देश्य दहेज लेने और देने की कुप्रथा पर रोक लगाना था। यह उद्देश्य प्राप्त नहीं ह्आ इसलिए उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम के तहत संबंधित प्रावधानों में संशोधन करके कठोर संशोधन लागू किये गए। पहले. 'दहेज की परिभाषा जो विवाह के समय या उससे पहले तक सीमित थी, 1986 के अधिनियम 43 के माध्यम से 19 नवंबर 1986 से विवाह के बाद की अवधि तक भी बढ़ा दी गई थी। इसी प्रकार, धारा 304 बी को उसी संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था और धारा 498ए को आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम 46) द्वारा पेश किया गया था। एक विवाहित महिला के जीवन पर हमले को रोकने के लिए उपरोक्त 1961 अधिनियम में और अधिक कडे प्रावधान लाने के लिए कई अन्य संशोधन लाए गए।

यह सही है कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आपराधिक न्यायशास्त्र में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जा सकता है। लेकिन संदेह का लाभ दंडात्मक कानून के अनुप्रयोग के संदर्भ में और किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उत्पन्न होगा। संदेह के लाभ की अवधारणा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन कानूनों की कठोरता के दायरे में। चूंकि एक विवाहित महिला की मृत्यु का कारण सामान्य परिस्थितियों में नहीं बल्कि 'दहेज मृत्यु था, जिसके लिए सबूत आसानी से उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि यह ज्यादातर घर की चार दीवारों, अर्थात् पति के घर के भीतर ही सीमित होती है। जहाँ सभी संभावित आरोपी रहते हैं। इसलिए उपरोक्त संशोधनों में, जैसा भी मामला हो, पति या रिश्तेदारो द्वारा दहेज मृत्यु मानी जाएगी की अवधारणा लाई गई। इस डीम्ड क्लाॅज की एक भूमिका है और किसी आरोपी को बचाने के लिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, अन्यथा संशोधन का उद्देश्य ही खो जाएगा। निःसंदेह, अभियोजन पक्ष को दहेज हत्या की प्रारंभिक धारणा स्थापित करने के बाद सभी उचित संदेहों से परे अंतिम आवश्यक तत्वों को साबित करना होगा।

धारा 304-बी का स्पष्टीकरण- दहेज को "1961 अधिनियम की धारा 2 के समान अर्थ" के रूप में संदर्भित करता है, सवाल यह है उसमें पिरेभाषित दहेज की पिरेधि क्या है? तर्क यह है कि विवाह के समय देने के लिए सहमत शब्दों को ध्यान में रखते हुए एक समझौता होना चाहिए और ऐसे किसी भी सबूत के अभाव में यह दहेज नहीं माना जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है, क्योंकि संशोधन द्वारा इस पिरेभाषा में न केवल विवाह

से पहले और उसके समय की अवधि शामिल है, बल्कि विवाह के बाद की अवधि भी शामिल है।

जब क़ानून में शब्द एक से अधिक अर्थों के लिए संदर्भित होते हैं, तो निर्माण का स्थापित नियम हेडन के मामले (1584) 76 ईऔर 639 में पाया जाता है, जिसे बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य एआईऔर में इस न्यायालय द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। 1955 ऐसेसी 661 (674) किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय चार पहलुओं पर विचार करने का नियम है:-

- (ए) जिस कानून की व्याख्या की मांग की गई है. उससे पहले का कानून कब था
- (बी) वह शरारत या दोष कब था जिसके लिए नया कानून बनाया गया है,
 - (सी) कानून अब क्या उपाय प्रदान करता है; और
 - (डी) उपाय का कारण क्या है।

न्यायालय को उस संरचना को अपनाना चाहिए, जो "शरारत को दबाती है और उपचार को आगे बढ़ाती है।" इस सिद्धांत को लागू करने पर यह स्पष्ट है कि पहले का कानून दहेज से होने वाली मौतों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उपरोक्त कड़े प्रावधान लाए गए, तािक विवाहित महिलाओं पर ऐसे अमानवीय अपराध करने वाले व्यक्ति बच न सकें, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रकृति के साक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। पारिस्थितिजन्य प्रकार को छोड़कर इसलिए यह वह व्याख्या है जो शरारत को दबाती है, उद्देश्य को पूरा करती है और उपचार को आगे बढ़ाती है, जो स्वीकार्य होगा उद्देश्य यह है कि ऐसे अपराध करने वाले पुरुष सजा से बच न सकें। इसलिए डीम्ड क्लॉज लाकर आरोपी पर भार डालकर कड़े प्रावधान लाए गए। जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, दहेज की परिभाषा में विवाह के बाद की अविध को भी शामिल करने के लिए 19 नवंबर, 1986 से संशोधन किया गया था।

अपीलार्थीगण के खिलाफ कथित अपराध भा.दं.सं. की धारा 304-बी के तहत है जो 'दहेज की मांग को दंडनीय बनाता है। मांग किसी समझौते की न तो कल्पना करती है और न ही करेगी। यदि किसी अपराधी को दोषी ठहराने के लिए दहेज का समझौता साबित करना पड़े तो शायद ही कोई अपराधी कानून के शिकंजे में आएगा जब धारा 304-बी दहेज की मांग को संदर्भित करती है, तो यह संपत्ति मूल्यवान सुरक्षा की मांग को संदर्भित करती है जैसा कि 1961 अधिनियम के तहत दहेज की परिभाषा में संदर्भित है। अपीलार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया कि महज स्कूटर या फ्रिज की

मांग दहेज की मांग नहीं होगी। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से हमें जात होता है कि विवाह के कुछ दिनों के भीतर, मृतका को विवाह में उपरोक्त सामान नहीं लाने के लिए यातना दी गई, दुर्व्यवहार किया गया और परेशान किया गया। इसलिए यह मांग विवाह के संबंध में है। वर्तमान मामले में यह तर्क कि यहां दहेज की कोई मांग नहीं है, कोई बल नहीं है। दहेज हत्या और आत्महत्या के मामलों में पारिस्थितिजन्य साक्ष्य महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐसे साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वह या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि 1961 के अधिनियम की धारा 4 को भी 1984 के अधिनियम 63 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसके तहत दुल्हन के माता-पिता या अन्य रिश्तेदारों या अभिभावकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करना अपराध है। धारा 2 में उल्लिखित समझौता शब्द का अनुमान प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लगाया जाना चाहिए। अपीलार्थी जो व्याख्या चाहता है कि दहेज के लिए समझौता होने पर ही सजा हो सकती है, वह गलत है। यह अधिनियम के आशय और उद्देश्य के विपरीत होगा। "दहेज की परिभाषा की व्याख्या धारा 3 सहित अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ की जानी है, जो 1961 अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दहेज देने या लेने और धारा 4- दहेज मांगने के लिए दंड को संदर्भित करती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य सामग्री पूरी होने पर भी दहेज की मांग दंडनीय है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है

कि जब विवाह के बाद दुल्हन से या उसके माता-पिता से टीवी और स्क्टर की लगातार मांग की जाती है, तो यह विवाह के संबंध में माना जाएगा और यह धारा के अर्थ के तहत दहेज की मांग का मामला होगा। 304 बी आईपीसी यह हमेशा जरूरी नहीं है कि दहेज के लिए कोई समझौता हो।

वर्तमान मामले पर लौटते हुए, उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं। शादी के कुछ दिनों बाद स्कूटर और फ्रिज की मांग होने लगी, जो पूरी न होने पर मृतका को बार-बार ताने और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। ऐसी माँगों को विवाह के संबंध में न हो नहीं कहा जा सकता। इसलिए साक्ष्य विवाह के संबंध में दहेज की मांग के योग्य है और मामले की परिस्थितियों में 1961 अधिनियम की धारा 2 और आईपीसी की धारा 304-बी के तहत 'दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला मामला बनता है।

अगला सवाल यह है कि क्या मृतका के पित या किसी रिश्तेदार द्वारा कोई क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था और वह भी उसकी मृत्यु से तुरंत पहले। इस संबंध में यह तर्क दिया गया है कि मृतका के न तो कोई शारीरिक चोट है और न ही किसी पड़ोसी या अन्य स्वतंत्र व्यक्तियों की ओर से क्रूरता का कोई सबूत है: इसलिए कोई क्रूरता या उत्पीड़न नहीं है। इस संबंध में हमारी विनम्न राय में क्रूरता या उत्पीड़न का शारीरिक होना आवश्यक नहीं है। यहाँ तक कि किसी दिए गए मामले में मानसिक यातना

भी भा.दं.सं. की धारा 304 बी और 498 ए के अर्थ के तहत क्रूरता और उत्पीडन का मामला होगा। धारा 498 ए का स्पष्टीकरण (ए) स्वयं मानसिक और शारीरिक क्रूरता दोनों को संदर्भित करता है। स्पष्टीकरण (ए) के मद्देनजर तर्क यह है कि क्रूरता बनने से पहले जान-बूझकर आचरण किया जाना चाहिए। पुनः जान-बूझकर किए गए आचरण का अर्थ है, जान-बूझकर किए गए आचरण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है, जिसे ऐसा माना जा सकता है। हम पाते हैं, वर्तमान मामले में उपरोक्त सामान की मांग पूरी न करने के कारण, अगले दिन से ही, उसे बार-बार ताना मारा गया, दुर्व्यवहार किया गया और उसे बदसूरत आदि कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। एक लड़की शादी के बंधन में बंधते ही आशा व आकांक्षा के साथ अच्छे दिनों का सपना देखती है और शादी के अगले ही दिन से ही पित दहेज न लाने का ताना देने लगे उसे कुरूप कहने लगे तो इससे बड़ी मानसिक यातना, उत्पीड़न या क्रूरता किसी भी दुल्हन के लिए नहीं हो सकती। उसकी मौत से एक दिन पहले झगड़ा हुआ था, यह अपने आप में, हमारी विनम्र राय में भा.दं.सं. की धारा 498 ए और धारा 304 बी दोनों के अर्थ में क्रूरता के रूप में जानबूझकर किया गया कार्य होगा।

यह तर्क भी सही नहीं है कि उनकी मृत्यु से ठीक पहले किसी क्रूरता या उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं है। हम उसकी बहन, त्राचला देवी पीडब्लू

5 और उसके बहनोई, राम गोपाल पीडब्लू. 7. दोनों के साक्ष्य से पाते हैं कि 14 मई, 1987 को मृतका अपने मामा की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए शाहदरा (दिल्ली) आया था। उसी दिन शाम तक अपने पति के घर लौटने के बजाय अपनी बहन के घर आ गई। वह कुछ दिनों तक वहीं रही, दोनों ने गवाही दी कि उसने उन्हें बताया कि उसका पति दहेज की मांग को लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था और मांग पूरी नहीं करने पर उसे परेशान कर रहा था। 17 मई, 1987 को जब पति उन्हें वापस लेने आये तो उन्होंने आनाकानी की लेकिन त्रिशला देवी ने उन्हें नीचे उतारा और पति के साथ भेज दिया। हालाँकि वह पति के साथ चली गई लेकिन आखिरी दर्दनाक शब्दों के साथ कि अब भविष्य में उसका चेहरा देखना मुश्किल होगा"। अपने पति के घर पहुंचने के अगले ही दिन 19 मई को उर्मिल की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। उसका शरीर पूरी तरह जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह सही है कि अपदस्थ के रूप में झगड़े की घटना उनकी मृत्यु से एक दिन पहले ही हुई थी। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 17 मई को ही उसकी बहन के घर पर मृतका व उसके पति से झगड़ा हुआ था, मृतका और उसके पति के बीच के झगड़े को किसी अन्य झगड़े के रूप में समझाने की कोशिश की गई, जिसे विवाह के संबंध में झगड़ा नहीं माना जाना चाहिए। हम पाते हैं कि 2 अक्टूबर, 1985 से लागू उपरोक्त 1961 अधिनियम की धारा 8-ए में दहेज लेने या दहेज के लिए उकसाने पर स्पष्टीकरण देने का भार ऐसे व्यक्ति पर डाला गया है जिसके खिलाफ

अपराध करने का आरोप लगाया गया है। इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी की व्याख्या के तहत जिसे 1986 के उपरोक्त अधिनियम संख्या 43 द्वारा भी लाया गया था, यह धारणा है कि ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु के कारण होती है। इस प्रकार, अन्यथा साबित करने का भार, यदि कुछ भी हो, अभियुक्त पर था।

उपरोक्त साक्ष्य, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर एक अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मृतका की वास्तविक मृत्यु से एक दिन पहले पीडब्लू 5 और 7 द्वारा उल्लिखित उपरोक्त झगड़ा, अन्य सबूतों के साथ संचयी रूप से क्रूरता और उत्पीड़न का गठन करता है। विवाह के संबंध में और वह भी अपनी ही बहन के स्थान पर जिसका दहेज की बार-बार मांग के पूर्ववर्ती साक्ष्य के साथ सीधा संबंध है, यह मामला भा.दं.सं. की धारा 304-बी और 498-ए दोनों के तहत आता है। हालांकि, यह अभियुक्त के लिए खुला था कि वह अन्यथा साबित करे या सबूत के माध्यम से उस डीम्ड क्लाॅज को नष्ट कर दे। लेकिन हमने पाया कि वह ऐसा करने में सफल नहीं है। किसी मकसद से आरोपी पर इस तरह का बोझ डाला जाता है, साक्ष्य भी धारा 498 ए स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर मृतका को उत्पीड़न का निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि मांगों को पूरा न करने के लिए उस पर बार-बार दबाव डाला गया, जिससे उसे मानसिक यातना और पीड़ा हुई, जिसके कारण अंततः उसे आत्महत्या करनी पड़ी।

वर्तमान मामले में हमने पाया कि नीचे दी गई दोनों अदालतों ने पाया कि गहन जिरह के बावजूद इस बिंदु का खण्डन नहीं हुआ है। वास्तव में प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह बताया गया है कि क्रूरता के सवाल पर कोई जिरह नहीं है, हालांकि अन्य बिंदुओं पर कुछ जिरह है। निचली अदालत गवाहों की गवाही पर सही ढंग से विश्वास किया है और हमें नहीं लगता कि हमारे लिए इससे विचलित होने की कोई बात है। दूसरी ओर बचाव के साक्ष्य लापरवाहीपूर्ण प्रकृति के है, जो भार को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

एक हल्की सी दलील यह भी दी गई कि यह भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं होगा। भा.दं.सं. की धारा 107 का भी संदर्भ दिया गया, जहां उकसावे को तीन प्रमुखों में से किसी एक के अंतर्गत आना चाहिए। रिलायंस को पहले सिर पर रखा गया है, हम पाते हैं कि पहले से किसी भी एक व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसाता है"। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में पित की ओर से लड़की और उसके माता-पिता से उपरोक्त विभिन्न लेखों की बार बार मांग की गई और असफल होने पर, लड़की को प्रताड़ित किया गया, शब्दों और तानों से परेशान किया गया, जो क्रूरता की श्रेणी में आता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया है और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से एक दिन पहले पित ने पत्नी (मृतका) के साथ उसकी बहन के घर पर भी झगड़ा करके

मानसिक पीड़ा और क्रूरता कारित कर मृतका के लिए आत्महत्या के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं छोड़ा, जिसके कारण मृतका ने आत्महत्या कर ली। यह मानसिक स्थिति इन शब्दों से और भी स्पष्ट हो जाती है जो उसने अपनी बहन से कही थी, "अब भविष्य में उसका चेहरा देखना मुश्किल होगा"। हमारी राय में यह सब एक ऐसा कृत्य होगा जो लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाएगा। वर्तमान मामले में, पति ने उपरोक्त निष्कर्ष को खारिज करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया है या कोई परिस्थित नहीं पेश की है। निस्संदेह आरोपी को संदेह का लाभ उपलब्ध होगा, बशर्ते रिकॉर्ड पर सहायक साक्ष्य हो। इसलिए संदेह पैदा करने या संदेह का लाभ देने के लिए साक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो इस तरह के संदेह को जन्म दे सके। हमें नहीं लगता कि वर्तमान में ऐसा कोई मामला है, जहां संदेह का कोई लाभ कम से कम पति के खिलाफ हो। प्रत्यक्ष प्रमाण है, जैसा कि उपरोक्त गवाहों पीडब्लू 15 और 7 ने कहा है कि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले उसके पति द्वारा क्रूरता का शिकार किया गया था। हालाँकि, जहां तक अपीलार्थी संख्या 2 और 3 ससूर और सास का संबंध है, हमने पाया है कि साक्ष्य सामान्य प्रकृति की है। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया गया है कि मृतका के साथ अपीलार्थी नंबर 2 और 3 द्वारा क्रूरता की गई थी।

यह मानने से पहले कि अपीलार्थी संख्या 2 और 3 ने अपराध किया है, यह पाया जाना चाहिए कि वे उसकी मृत्यु से तुरंत पहले उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न करने के लिए जिम्मेदार हैं। हम पाते हैं कि इस मामले में साक्ष्य केवल पति तक ही सीमित है और अपीलार्थी संख्या 2 और 3 के खिलाफ नहीं है। इसलिए अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर जहां तक अपीलार्थी संख्या 2 और 3 का संबंध है, हम उन्हें संदेह का लाभ देते हैं और उन्हें दोषमुक्त किया जाता है।

ऐसे में उपरोक्त कारणों से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी संख्या 1 की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी जाती है, किंतु अपीलार्थी संख्या 2 और 3 की दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। तद्गुसार, अपीलार्थी नंबर 1 पवन कुमार को धारा-304 बी भा.दं.सं. में 7 साल का कठोर कारावास, 500/- रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावा, धारा-306 भा.दं.सं. में 4 वर्ष का कठोर कारावास, 200/- रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास एवं धारा-498 ए भा.दं.सं. के लिए 2 वर्ष का कठोर कारावास, 200/- रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास एवं धारा-498 ए भा.दं.सं. के लिए 2 वर्ष का कठोर कारावास, 200/- रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अन्य अपीलार्थींगण संख्या 2 और 3 को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। वे जमानत पर

हैं, उन्हें अपने जमानत-मुचलके भरने की आवश्यकता नहीं है। उनके जमानत-मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद और्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री मुकेश और्य (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।